अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-212 / 2016 / 5722 / 26-3-2016-यू0ओ0-36 / 14

प्रेषक,

मुनीन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विदेश मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषयः- केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी स्व0 खुशराम पुत्र श्री अतवारी थारू की स्वरूपरानी अस्पताल, इलाहाबाद में उपचार के दौरान दिनांक-03.07.2012 को हुयी मृत्यु के प्रकरण में मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों / उत्तराधिकारियों को मुआवजा धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस / पत्र संख्या-21146 / 24 / 4 / 2012- जेसीडी / एम-1, दिनांक-10.02.2014 के संदर्भ में समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-यू0ओ0-36 / 26-3-2016-151(एचआरसी) / 2012, दिनांक-28.01.2015 द्वारा केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद के विचाराधीन कैदी परशुराम (वास्तविक नाम-खुशराम) पुत्र श्री चौधरी मारू (वास्तविक नाम-अतवारी थारू) की दिनांक-03.07.2012 को हुयी मृत्यु के प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों / उत्तराधिकारियों को मुआवजा के रूप में रूपया-1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की भारतीय मुद्रा के समतुल्य नेपाली मुद्रा की राशि उ0प्र0 सरकार के खाते को डेबिट करके भुगतान किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी थी, किन्तु उक्त स्वीकृत धनराशि मृतक के आश्रित माता को प्राप्त नहीं हुयी है, जिसके कारण शासनादेश संख्या-यू0ओ0-36 / 26-3-2016-151(एचआरसी) / 2012 दिनांक-28.01.2015 कालबाधित हो जाने के कारण उक्त शासनादेश दिनांक-28.01.2015 को निरस्त किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी स्व0 खुशराम पुत्र श्री अतवारी थारू की स्वरूपरानी अस्पताल, इलाहाबाद में उपचार के दौरान दिनांक-03.07.2012 को हुयी मृत्यु के प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों / उत्तराधिकारियों को मुआवजा के रूप में धनराशि रू0-1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की भारतीय मुद्रा के समतुल्य नेपाली मुद्रा की राशि उत्तर प्रदेश के खाते को डेबिट करके भुगतान करने के लिये भारत के उच्चायोग, काठमांडू (नेपाल) को अधिकृत करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्राधिकृत/स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को तत्काल कराते हुये इसकी पुष्टिकृत सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त प्रायोजन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-200-अन्य कार्यक्रम-10- मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता-20--सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 प्रतिनिधानित अधिकारो के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मुनीन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0-212/2016/5722(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-200-अन्य कार्यक्रम-10-मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- प्रिंसिपल चीफ कन्ट्रोलर आफ एकाउन्ट्स विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4- महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाये उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, समाज कल्याण एवं वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण से अभिज्ञ किसी अधिकारी को तत्काल सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से सीधे सम्पर्क कर मृतक के आश्रित/उत्तराधिकारियों को मुआवजा धनराशि रू0- 1.00 लाख भुगतान कराते हुये उसकी सूचना शासन को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर/इलाहाबाद।

7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 एवं 4/5

9- मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

10- गृह मानवाधिकार अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

13- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

14- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in